



महत्त्वपूर्ण
एक/एचआर डीके 510

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

NARMADA CONTROL AUTHORITY

(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt. of India)

नर्मदा सदन, सेक्टर-बी, स्कीम नं. 74 सी, विजय नगर, इन्दौर-452 010 (म. प्र.)

Narmada Sadan, Sector-B, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar, Indore-452 010 (M.P.), INDIA

संख्या : ननिप्रा/लेखा/2018/1980

24-07-2018

कार्यालयीन परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि ननिप्रा के सभी अनुभागों से प्राप्त होने वाला अनुपस्थिति पत्रक समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे वेतन बिल बनाने में काफी परेशानी आती है, अतः सभी अनुभागों को यह सूचित किया जाता है कि अनुपस्थिति पत्रक पिछली माह की 20 तारीख से वर्तमान माह की 19 तारीख तक की उपस्थिति के आधार पर वर्तमान माह की 24 तारीख तक लेखा अनुभाग को प्राप्त हो जाना चाहिए। संविदा कर्मचारियों के अनुपस्थिति पत्रक उनके पिछले माह के उपस्थिति के आधार पर वर्तमान माह की 05 तारीख तक लेखा अनुभाग को अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

कृपया अनुपस्थिति पत्रक समय पर भेजना सुनिश्चित करें ताकि समय पर वेतन भुगतान किया जा सकें।

(कमलेश कुमार जैन)
वित्त अधिकारी/डीडीओ.

प्रतिलिपि :

- 1) कार्यकारी सदस्य के निजी सचिव, ननिप्रा
- 2) सदस्य(विधुत)/सदस्य(सिविल)/सदस्य (प.एवं पु.), के निजी सचिव/निजी सहायक, ननिप्रा
- 3) सचिव/मुख्य अभियंता के निजी सचिव/निजी सहायक, ननिप्रा
- 4) निदेशक (सिविल), ननिप्रा, इन्दौर
- 5) उप निदेशक (प्रशासन)/उर्जा प्रबंधन केन्द्र/सम्पर्क अनुभाग/जनसम्पर्क अनुभाग, ननिप्रा
- 6) उप निदेशक (सिविल), ननिप्रा, बड़ोदरा/भोपाल
- 7) संपर्क अधिकारी, ननिप्रा, नई दिल्ली, चूंकि मंत्रालय में स्थित ननिप्रा के स्टाफ हेतु मंत्रालय में कोई नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से एक-दो स्टाफ के अनुपस्थिति पत्रक ही प्राप्त होते हैं, अतः आप से अनुरोध है उक्तानुसार सम्बन्धितों से चर्चा कर सभी के अनुपस्थिति पत्रक मुख्यालय पर समय से प्राप्त हो ऐसी सुचारु व्यवस्था करवाने की व्यवस्था करें।



जल संसाधन - जल संरक्षण

स्वच्छ सुरक्षित जल - सुन्दर खुशहाल कल

CONSERVE WATER - SAVE LIFE